

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

द्वितीय तल्ला, इंजीनियरिंग हॉस्टल, सेक्टर-III, धुर्वा, राँची-834 004
दूरभाष संख्या-0651-2400749, फैक्स नं०- 0651-2400893

पत्र संख्या- 975 /स०क०।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा०प्र०से०)
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
JAP-IT
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 11-06-2020 ई०।

विषय :- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन <http://recruitment.jharkhand.gov.in/> पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: Copy of Notice

विश्वासभाजन,
11/06/20

(मनोज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक- 975 /स०क०,

राँची, दिनांक 11-06-2020 ई०।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/06/20
निदेशक, समाज कल्याण।

Government of Jharkhand
Directorate of Social Welfare
2nd Floor, ENGINEER'S HOSTEL, SECTOR -3, DHURWA, RANCHI, JHARKHAND -834004
Contractual Vacancy Notice

Adv. No. 02/2020-21/PMMVY

Date: 11.06.2020

समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड राँची द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत निम्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

क्रम	पद का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	राज्य योजना समन्वयक	अनारक्षित	01
2.	राज्य योजना सहायक	अनारक्षित	01

विस्तृत जानकारी www.socialwelfarejhar.gov.in or <http://recruitment.jharkhand.gov.in/> पर देखी जा सकती है। आवेदन भरने हेतु JAP-IT द्वारा Non Refundable निर्धारित शुल्क कुल रु 100/- प्रति आवेदन प्रति पद जो JAP-IT को देय है, लागू रहेगा। इच्छुक आवेदक, एक से अधिक पद के लिए अलग-अलग आवेदन दे सकते हैं। सभी नियुक्तियाँ पूर्णतः संविदा आधारित एवं योजना-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन अवधि या एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए मान्य होगी। संविदा की अवधि सक्षम प्राधिकार द्वारा विस्तारित की जा सकती है।

आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10.07.2020 है।

ह0/-
सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी
समाज कल्याण।